संख्या-475- /2025/002-ATI 2025 26

प्रेषक,

अन्नपूर्णा गर्ग,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक : 29 जुलाई, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष -:2025-26 के लिए अनुदान संख्या-019 के अन्तर्गत पूंजी लेखा हेतु प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ के पत्रांक-VIII-59/2013/TC/588, दिनॉक 17.07.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, चकगंजरिया, सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी करने के किये गये अनुरोध एवं वित्त -अनुभाग (यकव्य-आय)1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में मुझे-यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या-019 के पूंजी लेखाशीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-003-प्रशिक्षण-03-उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी-0302-डॉ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी-24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि रू0 50.00 करोड के सापेक्ष पूर्व में कार्मिक अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-327/2025/001-ATI 2025-26, दिनॉक 02.05.2025 द्वारा निर्गत की गयी रू0 25.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति की धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 25.00 करोड़ प्रतिबंधो के अधीन महानिदेशक/को निम्नलिखित नियम व शर्तें (स करोड मात्ररूपये पच्ची), उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-:

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारीअधिकारी / धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

(3) सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी।

(4) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजनास्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।/

(6) कार्मिक अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-699/47-3099/341/2020, दिनॉक 06.11.2024 एवं संख्या-699(।।/(47-3099/341/2020, दिनॉक 17.02.2025 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत दिशानिर्देशों का कड़ाई से -अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 019 **लेखा शीर्षक** 4070000030302 डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त - अनुभाग (व्ययक - आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अन्नपूर्णा गर्ग)
विशेष सचिव।

संख्या475-(1)/2025/002-ATI 2025 26, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथमद्वितीय/, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा), प्रथमद्वितीय/, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारीकोषाधिकारी/, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाईलसंबंधित सहायक समीक्षा अधिकारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।/
7- वित्त -अनुभाग (नियंत्रण-व्यय)5, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।